

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

डी.बी. आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 2/2018

नाथू लाल पुत्र उंकार, जाति गाडरी, उम्र 27 वर्ष, निवासी जीवा का खेड़ा,
थाना बिगोद, जिला भीलवाड़ा। वर्तमान में सेंट्रल जेल, अजमेर में बंद है

-----अपीलकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य

----प्रतिवादी

से संबंधित

डी.बी. आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 153/2019

शंकर पुत्र नंदा जाट, उम्र लगभग 36 वर्ष, बी/सी जाट, निवासी
जीवा का खेड़ा, पुलिस थाना बिगोद, जिला भीलवाड़ा (वर्तमान में
सेंट्रल जेल अजमेर में बंद है)

-----अपीलकर्ता

बनाम

राज्य, पीपी के माध्यम से

----प्रतिवादी

अपीलकर्ता(ओं) के लिए : श्री एम.एल. बिश्नोई

श्री राजेंद्र चरण

प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री दीपक चौधरी, जीए-सह-एएजी

माननीय डॉ. जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी

माननीय श्रीमान. जस्टिस मुन्नुरि लक्ष्मण

निर्णय

रिपोर्ट योग्य

23/08/2024 को आरक्षित

09/09/2024 को उच्चारण किया गया

डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी, जे. के अनुसार:

1. धारा 374(2) सीआरपीसी के तहत तत्काल आपराधिक अपील प्रस्तुत की गई है, जिसमें संक्षेप में निम्नलिखित राहत का दावा किया गया है:

"अतः अत्यंत विनम्रतापूर्वक और सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि अपील को स्वीकार किया जाए और सत्र प्रकरण संख्या 24/2012 में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (महिला अत्याचार मामले), भीलवाड़ा (राजस्थान) द्वारा पारित दिनांक 31.10.2017 के विवादित निर्णय और आदेश को कृपया अपास्त किया जाए और अपीलकर्ता को कृपया दोषमुक्त किया जाए।"

2. चूंकि दोनों ही आपराधिक अपीलें, सत्र प्रकरण संख्या 24/2012 (राजस्थान राज्य बनाम नाथू लाल एवं अन्य) में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश (महिला अत्याचार मामले), भीलवाड़ा ('ट्रायल कोर्ट') द्वारा दिनांक 31.10.2017 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय से उत्पन्न हुई हैं, अतः अपीलों की एक साथ सुनवाई की गई है तथा इस सामान्य निर्णय द्वारा उनका निर्णय

किया जा रहा है। 2.1. दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के आक्षेपित निर्णय के अनुसार, अभियुक्त-अपीलकर्ताओं को दोषसिद्धि एवं दण्डादेश निम्नानुसार दिया गया है:

धारा(ओं) के तहत दोषसिद्धि	सजा	जुर्माना
120-बी आईपीसी	आजीवन कारावास	15,000/- रुपये (प्रत्येक आरोपी-अपीलकर्ता) चूक होने पर, प्रत्येक आरोपी अपीलकर्ता को 6 महीने की अतिरिक्त एस.आई.
302 आईपीसी	आजीवन कारावास	15,000/- रुपये (प्रत्येक आरोपी-अपीलकर्ता) चूक होने पर, प्रत्येक आरोपी-अपीलकर्ता को अतिरिक्त 6 महीने की एस.आई.
365 आईपीसी	सात वर्ष का आर.आई.	5,000/- रुपये (प्रत्येक आरोपी-अपीलकर्ता) चूक होने पर, प्रत्येक आरोपी अपीलकर्ता को 1 महीने की अतिरिक्त एस.आई.
397 आईपीसी	सात वर्ष का आर.आई.	-
201 आईपीसी	तीन वर्ष का आर.आई.	रु. 1,000/- (प्रत्येक आरोपी-अपीलकर्ता) का भुगतान न करने पर,

		प्रत्येक आरोपी अपीलकर्ता को अतिरिक्त 15 दिन की एस.आई.
--	--	---

धारा 428 सीआरपीसी के अनुसार सभी सजाएं एक साथ चलाने का आदेश दिया गया।

3. जैसा कि अभिवचनित तथ्यों और अभिलेख से पता चलता है, 10.08.2011 को शंकर लाल (शिकायतकर्ता) ने आरक्षी केंद्र, हमीरगढ़ के समक्ष गुमशुदगी की रिपोर्ट (प्रत्यक्ष पी-4) दर्ज कराई थी, क्योंकि शिकायतकर्ता के अनुसार, 05.08.2011 से उसकी मां का कोई पता नहीं था। उक्त रिपोर्ट में कहा गया था कि 04.08.2011 को, शिकायतकर्ता की मां रामू देवी सुबह करीब 11:12:00 बजे कुछ घरेलू सामान खरीदने के लिए सियार गांव से मंगरोप के लिए निकली थी, और जाते समय उसने कहा था कि वह शाम तक वापस आ जाएगी; तथापि, जब वह वापस नहीं लौटी, तो परिवादी अपनी मां की खोज के लिए मंगरोप गया और यह खोज अगले दिन यानी 05.08.2011 तक जारी रही; लेकिन चूंकि परिवादी की मां अभी भी लापता थी, इसलिए उपरोक्त रिपोर्ट दर्ज की गई।

3.1 परिवादी के अनुसार, ढाई महीने बीत जाने के बाद भी उसकी मां का पता नहीं चल सका, और जिसके बाद परिवार के सदस्यों ने परिवादी की मां की फोटो लेकर आस-पास के गांवों में उसकी तलाश शुरू कर दी। जब परिवार के सदस्य मंगरोप की झोपड़िया पहुंचे, तो उन्हें मोहन तेली (पीडब्लू-1) ने परिवादी की मां की फोटो देखकर बताया कि उक्त मोहन तेली ने उसे ढाई महीने पहले मोटरसाइकिल (बीच में) पर बैठकर मंगरोप से जाते हुए देखा था। पी.डब्लू.-1 द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उक्त मोटरसाइकिल नाथू गाडरी

(अभियुक्त-अपीलार्थी) चला रहा था तथा शंकर जाट (अभियुक्त-अपीलार्थी) भी उक्त मोटरसाइकिल पर परिवारी की मां के पीछे बैठा था।

3.2. ऐसी सूचना मिलने पर परिवारी एवं उसके परिवार के सदस्य जीवा का खेड़ा गए तथा वहां पहुंचकर उन्होंने दोनों अभियुक्त-अपीलार्थियों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया, जिस पर अभियुक्त-अपीलार्थियों ने परिवारी पक्ष के सदस्यों को गाली-गलौज करना शुरू कर दिया तथा उन्हें धमकाते हुए अभियुक्त-अपीलार्थियों ने परिवारी से कहा कि वे रामू देवी नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानते तथा परिवारी पक्ष के सदस्यों को गाली-गलौज करते हुए अभियुक्त-अपीलार्थियों ने उन्हें गांव से चले जाने को कहा, ऐसा न करने पर परिवारी पक्ष को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई।

3.3. शिकायतकर्ता के अनुसार, अभियुक्त-अपीलकर्ताओं के उपरोक्त आचरण से यह स्पष्ट है कि उनकी मां को अभियुक्त-अपीलकर्ताओं द्वारा उनके साथ जाने के लिए प्रेरित किया गया था और ऐसा प्रलोभन अभियुक्त-अपीलकर्ताओं द्वारा या तो शिकायतकर्ता की मां पर अवैध कार्य करने के लिए या उनके आभूषण छीनने के लिए दिया गया था, जो उन्होंने संबंधित समय पर पहने हुए थे और ऐसे प्रलोभन के अनुसरण में अभियुक्त-अपीलकर्ताओं ने उनकी मां का अपहरण कर लिया। शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि संबंधित समय पर उनकी मां के पास एक मोबाइल फोन भी था।

3.4. इस प्रकार, उपरोक्त तथ्यात्मक मैट्रिक्स के मद्देनजर, 20.10.2011 को मामला संख्या 167/2011 (एक्स.पी-6) पंजीकृत किया गया और तदनुसार जांच शुरू की गई। जांच के दौरान, अभियुक्त-अपीलकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और उनकी सूचना पर, मृतक का शव एक नदी से बरामद किया गया। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी अपीलकर्ताओं के खिलाफ धारा 365, 201, 302, 394, 397 और 120-बी आईपीसी के तहत विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट

(पूर्व), भीलवाड़ा के समक्ष आरोप पत्र दायर किया, लेकिन शामिल अपराधों की प्रकृति के कारण, मामला विद्वान सत्र न्यायाधीश, भीलवाड़ा को सौंप दिया गया, जहां से मामला विद्वान ट्रायल कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया।

3.5. विद्वान ट्रायल कोर्ट ने आरोपी-अपीलकर्ताओं के खिलाफ 120-बी आईपीसी, 365, 394, 397, 302 और 201 आईपीसी के तहत आरोप तय किए, जिन्हें आरोपी-अपीलकर्ताओं को पढ़ा गया और आरोपी-अपीलकर्ताओं ने उक्त आरोपों से इनकार करते हुए मुकदमा चलाने का दावा किया और तदनुसार विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष मुकदमा शुरू हुआ।

3.6. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने 35 गवाह पेश किए तथा 116 दस्तावेज परीक्षण हेतु प्रस्तुत किए; बचाव पक्ष ने 06 दस्तावेज प्रस्तुत किए; तत्पश्चात अभियुक्त अपीलकर्ताओं की धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की गई, जिसमें उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताया तथा प्रश्नगत आपराधिक मामले में उन्हें झूठा फंसाए जाने की बात कही।

3.7. तत्पश्चात, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने तथा अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री एवं साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात, विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 31.10.2017 के दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के तहत अभियुक्त अपीलकर्ताओं को उपरोक्तानुसार दोषी ठहराया तथा दण्डित किया, जिसके विरुद्ध अभियुक्त-अपीलकर्ताओं द्वारा वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है।

4. अभियुक्त-अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के कथन में बहुत अधिक विरोधाभास है तथा अभियोजन पक्ष के कथन का समर्थन करने वाले सभी गवाह मृतक के निकट संबंधी हैं। यह भी दलील दी गई कि किसी भी स्वतंत्र गवाह ने अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया है।

4.1. यह भी प्रस्तुत किया गया कि मोटरसाइकिल को पुलिस अधिकारी ने अभियुक्त-अपीलकर्ताओं द्वारा दी गई सूचना के आधार पर बरामद किया था, लेकिन उक्त मोटरसाइकिल अभियुक्त-अपीलकर्ताओं के नाम पर पंजीकृत नहीं थी।

4.2. यह भी प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने मृतका के शरीर की पहचान उसकी मृत्यु के समय उसके द्वारा पहने गए कपड़ों के आधार पर की थी, और इस तरह के बयान में स्पष्ट रूप से विरोधाभास दिखाई देता है, और मृतका के शव की स्थिति के कारण, जो बरामद किया गया था, कोई पहचान संभव नहीं थी; इसके अलावा, पुलिस अधिकारी ने उक्त शव को डी.एन.ए. परीक्षण के लिए नहीं भेजा।

4.3. आगे यह भी कहा गया कि अभियोजन पक्ष के अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत के अनुसार, जब शिकायतकर्ता ने मृतक की तलाश की, तो मोहन नामक व्यक्ति ने शिकायतकर्ता को बताया कि उसने मृतक को लगभग ढाई महीने पहले अभियुक्त-अपीलकर्ताओं के साथ मोटरसाइकिल पर देखा था, लेकिन उक्त मोहन मृतक का असली दामाद है, और मृतक इतने लंबे समय से लापता था, और यदि उक्त मोहन को ऐसी जानकारी थी, तो उसने शिकायतकर्ता और संबंधित पुलिस अधिकारी को क्यों नहीं सूचित किया, और इसलिए, यह स्पष्ट है कि मामले में कोई अंतिम बार देखे जाने का सबूत नहीं था और शिकायतकर्ता के परिवार के सदस्य ने उक्त कहानी सुनाई।

4.4. यह भी कहा गया कि अभियुक्त-अपीलकर्ताओं द्वारा दी गई सूचना पर पुलिस ने मृतक का मोबाइल फोन बरामद किया था, लेकिन रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि उक्त मोबाइल फोन मृतक का था। आगे यह भी कहा गया कि मृतक के उक्त मोबाइल फोन में डाला गया सिम कार्ड पुलिस अधिकारियों द्वारा बरामद नहीं किया गया।

4.5. यह भी प्रस्तुत किया गया कि पुलिस अधिकारी ने कॉल विवरण प्रस्तुत किया, लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65-बी के तहत प्रमाण पत्र के बिना। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आरोपी अपीलकर्ताओं से आभूषणों की कोई बरामदगी नहीं हुई और अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, आरोपी अपीलकर्ताओं ने शिव प्रसाद (पीडब्लू.17) को आभूषण बेचे, लेकिन उक्त गवाह इस संबंध में मुकदमे के दौरान मुकर गया। इसलिए, विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपी-अपीलकर्ताओं को आरोपित निर्णय के तहत दोषी ठहराना कानूनन उचित नहीं था।

4.6. यह भी प्रस्तुत किया गया कि आरोपी-अपीलकर्ता पिछले लगभग 13 वर्षों से सलाखों के पीछे हैं।

5. दूसरी ओर, विद्वान लोक अभियोजक ने आरोपी-अपीलकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत किए गए तर्कों का विरोध करते हुए प्रस्तुत किया कि पुलिस ने आरोपी-अपीलकर्ताओं द्वारा दी गई सूचना पर मृतक का शव बरामद किया और बरामदगी के गवाहों (मोटबीर) ने भी उक्त बरामदगी का समर्थन किया है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि पुलिस अधिकारी ने अन्य व्यक्तियों को आभूषणों की बिक्री की रसीद बरामद की, जैसा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 के तहत अभियुक्त-अपीलकर्ताओं द्वारा सूचित किया गया था और पीडब्लू-17 शिव प्रसाद, जिसे आभूषण बेचे गए थे, ने भी अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन करते हुए कहा कि अभियुक्त-अपीलकर्ताओं ने उक्त आभूषण उसे बेचे थे।

5.1. यह भी प्रस्तुत किया गया कि मृतका के परिवार ने स्पष्ट रूप से मृतका द्वारा प्रासंगिक समय पर पहने गए कपड़ों के बारे में बताया था, जब वह लापता हुई थी और उक्त कपड़े और चाबी मृतका के शरीर से बरामद किए गए थे, और इसलिए, मृतका के परिवार के सदस्यों ने मृतका के शरीर की

विधिवत पहचान की और इस प्रकार, इस संबंध में किसी डीएनए की आवश्यकता नहीं थी। यह भी प्रस्तुत किया गया कि मृतका को आखिरी बार मोहन ने अभियुक्त-अपीलकर्ताओं के साथ मोटरसाइकिल पर देखा था, और इसलिए, साक्ष्य की पूरी श्रृंखला स्पष्ट रूप से अभियुक्त अपीलकर्ताओं के खिलाफ है।

5.2. यह भी प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त-अपीलकर्ताओं द्वारा दी गई सूचना के आधार पर, पुलिस प्राधिकारी ने हत्या का हथियार (कुल्हाड़ी), मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद किया, जो कि प्रश्नगत अपराध में प्रयुक्त था, और उससे अभियोजन पक्ष की कहानी स्पष्ट रूप से स्थापित हुई, इसलिए विद्वान विचारण न्यायालय ने आरोपी-अपीलकर्ताओं को आक्षेपित निर्णय के तहत सही रूप से दोषी ठहराया है।

6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

7. यह न्यायालय यह मानता है कि अभियुक्त-अपीलकर्ताओं के विरुद्ध आरोप यह है कि उन्होंने मृतक का अपहरण किया और मृतक के आभूषण और अन्य सामान छीनने के बाद, उन्होंने मृतक की हत्या कर दी, और तत्पश्चात, विधिवत विचारण किया गया और आरोपी-अपीलकर्ताओं को उपरोक्तानुसार दोषी ठहराया गया, और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय के तहत सही रूप से दोषी ठहराया गया।

8. यह न्यायालय आगे यह भी मानता है कि मृतका के पुत्र शंकर लाल (पीडब्लू-5) द्वारा दिनांक 10.08.2011 को गुमशुदा व्यक्ति की रिपोर्ट (एमपीआर) दर्ज कराई गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि वह दिनांक 05.08.2011 से लापता थी, तथा ढाई महीने बीत जाने के बाद भी उसकी मां का पता नहीं चल सका, और तदनुसार, शिकायतकर्ता ने अपनी मां की खोज

आसपास के गांवों में शुरू की। मृतका के लापता होने की तिथि से ढाई महीने बीत जाने के बाद, जब परिवार के सदस्य मंगरोप की झोपड़िया पहुंचे, तो उन्हें मोहन तेली (पीडब्लू-1) ने शिकायतकर्ता की मां का फोटो देखकर बताया कि उसने उसे ढाई महीने पहले मोटरसाइकिल (बीच में) पर बैठकर मंगरोप से जाते हुए देखा था। जैसा कि बताया गया, उक्त मोटरसाइकिल को नाथू गाडरी (आरोपी-अपीलकर्ता) चला रहा था और शंकर जाट (आरोपी-अपीलकर्ता) भी उक्त मोटरसाइकिल पर बैठा था।

9. यह न्यायालय यह भी मानता है कि विचाराधीन अपराध का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं था और अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और वर्तमान मामले में अंतिम बार देखा गया एकमात्र गवाह यानी पी.डब्लू.1- मोहन तेली है।

9.1. पी.डब्लू.1 की गवाही के अनुसार, उसने कहा कि उसने मृतक को मोटरसाइकिल पर अभियुक्त-अपीलकर्ताओं के साथ जाते देखा था और यही बात उक्त गवाह ने शिकायतकर्ता शंकर लाल को बताई थी। इसके अलावा, पी.डब्लू.5-शंकर लाल की गवाही से यह भी पता चलता है कि मोहन तेली (पी.डब्लू.1) ने शिकायतकर्ता को बताया कि मृतक को अंतिम बार अभियुक्त-अपीलकर्ताओं के साथ ढाई महीने पहले देखा गया था, जिस दिन उक्त गवाह ने शिकायतकर्ता को ऐसी जानकारी दी थी। उसने यह भी कहा कि मोहन तेली (पी.डब्लू.1) उसका साला है और मृतक पी.डब्लू.1 की सास है। उन्होंने आगे कहा कि वह और पी.डब्लू.1 गुमशुदा व्यक्ति की रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने के लिए एक वकील के पास गए थे।

9.2. इस समय, पी.डब्लू. 1-मोहन तेली और पी.डब्लू. 5-शंकर लाल की गवाही के प्रासंगिक अंशों को पुनः प्रस्तुत करना उचित समझा जाता है, जैसा

कि विद्वान परीक्षण न्यायालय के समक्ष दर्ज किया गया है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

पी.डब्लू. 1 की गवाही:

"सशपथ कथन किया कि दो साल पहले की बात है। मैं मंगरोप के बस स्टेण्ड पर बैठा था। बाहर एक बजे की बात है। मैंने वहां देखा कि नाथु लाल मोटरसाईकिल चला रहा था व शंकरलाल पीछे बैठा था। रामुबाइ बीच में बैठी थी। मोटरसाईकिल के नम्बर पर मैंने ध्यान नहीं दिया।"

अ.सा.1 की जिरह:

मेरा ससुराल सियार गांव में है। रामुदेवी मेरी सास लगती है। मेरा ससुराल व मेरा गांव 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे साले का नाम शंकरलाल है। शंकर के पिता का नाम कजोड है। मैं ससुराल आता जाता हूँ। मैं मेरी सास को अच्छी तरह से पहचानता था।

मेरी पत्नी का नाम गीता है। मैं व मेरी पत्नी साथ रहते हैं मुलजिमान को मैं पहले से नहीं जानता था। मेरी मुलजिमान की कोई शिनाख्त नहीं कराई थी। यह सही है कि लादूलाल तेली रामुदेवी के सम्बन्ध में थे।

अ.सा. 5 की गवाही (क्रॉस-एग्जामिनेशन):

".....यह सही है कि मोहन मेरा जीजा था व शक्ल से मेरी मां को अच्छी तरह पहचानता था। हमारे वकील साहब लादूलाल जी हैं। यह सही है कि गुमशुदगी की रिपोर्ट हमारे वकील साहब ने टाईप करवाई थी इसके लिए मैं व मेरा जीजा मोहन दोनों गये थे।.....

9.3. यह न्यायालय आगे यह भी मानता है कि पी.डब्लू.1 और पी.डब्लू.5 की गवाही के अवलोकन से यह पता चलता है कि सबसे पहले, यदि पी.डब्लू.1 ने, जैसा कि उसने कहा है, मृतक को अभियुक्त-अपीलकर्ताओं के साथ देखा था,

तो मृतक के लापता होने के तथ्य के बावजूद उसने मृतक के परिवार के सदस्यों को इसकी सूचना क्यों नहीं दी, यह उसकी जानकारी में था। दूसरे, पी.डब्लू.5 ने कहा कि जब वे मृतका की तलाश कर रहे थे (उसके लापता होने के ढाई महीने बाद) उस समय मोहन तेली ने उन्हें बताया कि मृतका को अभियुक्त-अपीलकर्ताओं के साथ देखा गया था, लेकिन मोहन तेली (पी.डब्लू.1) पी.डब्लू.5 का साला है, और पी.डब्लू.1 को पता है कि मृतका लापता है, तो उसने मृतका के परिवार को ऐसी सूचना देने से पहले ढाई महीने का लंबा समय क्यों इंतजार किया। तीसरा, पी.डब्लू.1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्त-अपीलकर्ताओं के नाम बताए, लेकिन अपनी जिरह में उसने कहा कि वह अभियुक्त-अपीलकर्ताओं को उनके नाम और चेहरे से नहीं जानता था।

9.4. यह न्यायालय यह भी मानता है कि पी.डब्लू.1 की गवाही के आधार पर अभियोजन पक्ष द्वारा तैयार की गई अंतिम बार देखे जाने की थ्योरी में बहुत बड़े विरोधाभास हैं, और इसके अलावा, ऐसी गवाही से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अभियोजन पक्ष ने केवल अभियुक्त-अपीलकर्ताओं की संलिप्तता साबित करने के लिए ऐसा सिद्धांत बनाया, जबकि इस संबंध में कोई भी भौतिक साक्ष्य रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है। मृतका पी.डब्लू.1 की सास थी, और मृतका के लापता होने की जानकारी पी.डब्लू.1 को थी, लेकिन अचानक ढाई महीने बाद उसने बताया कि उसने मृतका को अंतिम बार अभियुक्त अपीलकर्ताओं के साथ देखा था, जो कि दी गई परिस्थितियों में बहुत ही संदिग्ध और विश्वसनीय नहीं है।

9.5. यह न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनेश कुमार बनाम हरियाणा राज्य (आपराधिक अपील संख्या 530/2022, दिनांक 04.05.2023 को निर्णीत) के मामले में दिए गए निर्णय के प्रति सचेत है, जिसका प्रासंगिक अंश नीचे प्रस्तुत है:

“15. हमारे विचार से, वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है। अंतिम बार देखे जाने का साक्ष्य केवल एक बिंदु तक ही ले जाता है, उससे आगे नहीं। यह इसे आगे जोड़कर एक पूरी श्रृंखला बनाने में विफल रहता है। हमारे पास यहां केवल अंतिम बार देखे जाने का साक्ष्य है, जो जैसा कि हमने देखा है, मामले की परिस्थितियों में अंतिम बार देखे जाने और मृत्यु के संभावित समय के बीच लंबे समय की अवधि के कारण अपना बहुत अधिक महत्व खो देता है। जिसे हम अधिनियम की धारा 27 के तहत खोज कह सकते हैं, वह मृतक की परना और घड़ी की खोज है। यह साक्ष्य अपने आप में अपीलकर्ता पर दोष तय करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

ऐसे मामले में जहां कोई सबूत नहीं है अपराध का प्रत्यक्ष चश्मदीद गवाह होने के नाते, अभियोजन पक्ष को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अपना मामला बनाना होगा। यह अभियोजन पक्ष पर डाला गया बहुत भारी बोझ है। अभियोजन पक्ष द्वारा एकत्रित परिस्थितियों की श्रृंखला को श्रृंखला को पूरा करना चाहिए, जो केवल एक निष्कर्ष की ओर इशारा करता है कि यह आरोपी ही है जिसने अपराध किया है, और किसी और ने नहीं। प्रत्येक साक्ष्य जो साक्ष्यों की श्रृंखला को पूरा करता है, उसे ठोस आधार पर खड़ा होना चाहिए। हमारी सुविचारित राय में, इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में आवश्यक मानक को पूरा नहीं करते हैं।”

10. यह न्यायालय आगे यह भी मानता है कि मृतक का शव आरोपी अपीलकर्ताओं द्वारा दी गई सूचना के आधार पर घटना के ढाई महीने बाद नदी से बरामद किया गया था और मृतक का शव पहचाने जाने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि वह पूरी तरह सड़ चुका था और कंकाल के रूप में था, लेकिन मृतक के परिवार के सदस्यों अर्थात् पी.डब्ल्यू.4- गीता देवी, पी.डब्ल्यू.5- शंकर, पी.डब्ल्यू.6- ज्ञान देवी ने मृतक के लापता होने के समय उसके पहने हुए

कपड़ों के आधार पर शव की पहचान की और मृतक के शव के साथ चाबियाँ भी मिलीं।

10.1 यह न्यायालय यह भी मानता है कि मृतक द्वारा पहने गए कपड़ों का विवरण गुमशुदा व्यक्ति की रिपोर्ट, लिखित रिपोर्ट और एफआईआर में नहीं लिखा गया था; कपड़ों की पहचान पहली बार तब सामने आई जब मृतक का शव बरामद हुआ। यह न्यायालय आगे यह भी मानता है कि मृतक का शव पहचाने जाने की स्थिति में नहीं था, लेकिन पुलिस ने प्राधिकारी ने शव की पहचान के लिए डीएनए या किसी अन्य फॉरेंसिक विश्लेषण के लिए इसे नहीं भेजा।

11. यह न्यायालय यह भी मानता है कि अभियोजन पक्ष पूरी तरह से आभूषणों की बरामदगी, आभूषणों की बिक्री के लिए जारी रसीद, मृतक का मोबाइल फोन, कुल्हाड़ी (हथियार) और मृतक से संबंधित अन्य चीजों पर आधारित है। यह न्यायालय आगे यह भी मानता है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने मुख्य रूप से अभियुक्त-अपीलकर्ताओं से की गई बरामदगी पर उन्हें दोषी ठहराने के लिए भरोसा किया, ऐसी बरामदगी के अलावा, प्रमुख विरोधाभास हैं, जो वर्तमान मामले में साक्ष्य की श्रृंखला को तोड़ने के लिए पर्याप्त थे, जैसा कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य से पता चलता है।

12. यह न्यायालय यह भी मानता है कि वर्तमान मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला के अनुसार, इससे संबंधित केस कानूनों पर एक नज़र डालना समीचीन है।

12.1. यह न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1984) 4 एससीसी 116 के मामले में दिए गए निर्णय से भी अवगत है, जिसका प्रासंगिक भाग नीचे प्रस्तुत है:

“153. इस निर्णय का गहन विश्लेषण यह दर्शाएगा कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध मामला पूर्णतः स्थापित होने से पूर्व निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए:

(1) जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूर्णतः स्थापित किया जाना चाहिए। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि इस न्यायालय ने संकेत दिया कि संबंधित परिस्थितियाँ “अवश्य या होनी चाहिए” और “स्थापित हो सकती हैं” नहीं। “साबित किया जा सकता है” और “साबित किया जाना चाहिए या होना चाहिए” के बीच न केवल व्याकरणिक बल्कि कानूनी अंतर भी है, जैसा कि इस न्यायालय ने शिवाजी साहबराव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य [(1973) 2 एससीसी 793: 1973 एससीसी (क्रि) 1033: 1973 क्रि एलजे 1783] में माना था, जहाँ निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गई थीं: [एससीसी पैरा 19, पृष्ठ 807: एससीसी (क्रि) पृष्ठ 1047] “निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अभियुक्त को अवश्य होना चाहिए और नहीं न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले केवल दोषी हो सकता है और ‘हो सकता है’ तथा ‘होना चाहिए’ के बीच मानसिक दूरी बहुत लंबी है तथा अस्पष्ट अनुमानों को सुनिश्चित निष्कर्षों से अलग करती है।

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के दोषी होने की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात्, उन्हें किसी अन्य परिकल्पना के आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता, सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है,

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए,

(4) उन्हें साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को बाहर करना चाहिए, तथा

(5) साक्ष्यों की एक श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न बचे तथा यह दर्शाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कार्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।

154. ये पाँच स्वर्णिम सिद्धांत, यदि हम ऐसा कह सकते हैं, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी मामले के प्रमाण के पंचशील का गठन करते हैं।

12.2 यह न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आर. श्रीनिवास बनाम कर्नाटक राज्य (आपराधिक अपील संख्या 859/2011, दिनांक 06.09.2023 को निर्णीत) के मामले में दिए गए निर्णय के प्रति भी सचेत है, जिसका प्रासंगिक अंश नीचे प्रस्तुत है-

17. वर्तमान मामले में, यह देखते हुए कि अंतिम बार देखे जाने का कोई निश्चित साक्ष्य नहीं है और यह भी तथ्य है कि कथित अंतिम बार देखे जाने और शव की बरामदगी के बीच काफी लंबा समय अंतराल है, और अन्य पुष्टिकारक साक्ष्यों के अभाव में, यह नहीं कहा जा सकता कि परिस्थितियों की श्रृंखला इतनी पूर्ण है कि एकमात्र निष्कर्ष यह निकाला जा सकता है कि अपीलकर्ता दोषी है। लक्ष्मण प्रसाद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2023) 6 एससीसी 399 में, हमने शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1984) 4 एससीसी 116 और शैलेंद्र राजदेव पासवान बनाम गुजरात राज्य, (2020) 14 एससीसी 750 पर विचार करने के बाद, यह माना था कि '... परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, श्रृंखला सभी मामलों में पूरी होनी चाहिए ताकि आरोपी के अपराध को इंगित किया जा सके और अपराध के किसी अन्य सिद्धांत को भी बाहर रखा जा सके।' ऐसे साक्ष्य के आधार पर अपीलकर्ता की सजा को बनाए रखना असुरक्षित होगा, जहां श्रृंखला स्पष्ट रूप से अधूरी है। इसके अलावा, निर्दोषता की धारणा आरोपी के पक्ष में है और जब संदेह उत्पन्न होता है, तो लाभ आरोपी को मिलता है, न कि अभियोजन

पक्ष को। सुरेश थिप्पा शेट्टी बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2023 आईएनएससी 749 का संदर्भ दिया जा सकता है।

13. यह न्यायालय यह भी मानता है कि केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में, यह आवश्यक है कि साक्ष्य की श्रृंखला पूरी हो और कोई संदेह न हो, लेकिन वर्तमान मामले में, अंतिम बार देखे गए गवाह यानी पीडब्लू 1 की गवाही अत्यधिक संदिग्ध है और यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अंतिम बार देखे गए सिद्धांत को अभियोजन पक्ष द्वारा गलत तरीके से तैयार किया गया था। इसलिए, अंतिम बार देखे गए सिद्धांत पूरी तरह से विफल हो गया है और यहां तक कि मामले की जड़ें भी अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित नहीं की गई हैं। यह न्यायालय आगे यह भी मानता है कि उपर्युक्त पांच सुनहरे सिद्धांतों को देखते हुए, अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला स्थापित करने में विफल रहा, ताकि वर्तमान अभियुक्त-अपीलकर्ताओं की सजा को उचित ठहराया जा सके।

14. यह न्यायालय यह भी मानता है कि विद्वान विचारण न्यायालय यह विचार करने में विफल रहा है कि अभियोजन पक्ष आरोपी अपीलकर्ताओं के विरुद्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्य की पूरी श्रृंखला स्थापित करने में सक्षम नहीं था तथा अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में बड़े विरोधाभास हैं।

15. तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यद्यपि आरोपी-अपीलकर्ताओं की ओर से यह दलील दी गई है कि आरोपी अपीलकर्ता पिछले लगभग 13 वर्षों से सलाखों के पीछे हैं, लेकिन दी गई परिस्थितियों में तथा मामले के तथ्यात्मक स्वरूप को देखते हुए, यह न्यायालय आरोपी-अपीलकर्ताओं की लंबी हिरासत के मुद्दे पर गहराई से विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं पाता है, क्योंकि वर्तमान मामले के तथ्य आरोपी अपीलकर्ताओं को पूरी तरह से बरी करने का समर्थन करते हैं।

16. तदनुसार, सत्र प्रकरण संख्या 24/2012 (जिसका शीर्षक “राजस्थान राज्य बनाम नाथूमल एवं अन्य” है) में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जिला भीलवाड़ा की अदालत द्वारा दिनांक 31.10.2017 को दिए गए निर्णय एवं सजा को अपास्त किया जाता है तथा वर्तमान आपराधिक अपील स्वीकार की जाती है। आरोपी-अपीलकर्ताओं को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से बरी किया जाता है। दोनों आरोपी-अपीलकर्ता हिरासत में हैं; यदि किसी अन्य मामले में उनकी आवश्यकता न हो तो उन्हें तत्काल रिहा किया जाए।

15.1. तथापि, धारा 437-ए सीआरपीसी के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, आरोपी-अपीलकर्ताओं को विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष 15,000/- रुपये का व्यक्तिगत बांड तथा समान राशि का जमानत बांड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है, जो इस आशय का छह माह की अवधि के लिए प्रभावी होगा कि विशेष अनुमति याचिका दायर करने की स्थिति में, आरोपी-अपीलकर्ताओं को 15,000/- रुपये का व्यक्तिगत बांड तथा समान राशि का जमानत बांड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है, जो इस आशय का ... कि वे विशेष अनुमति याचिका दायर करने की स्थिति में, आरोपी-अपीलकर्ताओं को 15,000/- रुपये का व्यक्तिगत बांड तथा समान राशि का जमानत बांड प्रस्तुत करें। वर्तमान निर्णय के विरुद्ध याचिका की सूचना प्राप्त होने पर अपीलकर्ता माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

15.2. सभी लंबित आवेदनों का निपटारा हो गया है। विद्वान ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड तुरंत वापस किया जाए।

(मुन्नुरि लक्ष्मण), जे.

(डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी), जे

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।